

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-4, 24 अगस्त, 2009

संख्या वि०स०-लैज-गवरनमेंट बिल/1-35/2009.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 18) जो आज दिनांक 24 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव।

2009 का विधेयक संख्यांक 18

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2009 है।

2. धारा 2 का संशोधन.—शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(क) खण्ड (गग), (घघ), (ङ), (च), (ज) और (प) का लोप किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ख) में “केन्द्रीय तारघर कार्यालय” शब्दों के पश्चात् “और रिज” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) खण्ड (ग) में “जिला” शब्द के स्थान पर “जिला शिमला” शब्द रखे जाएंगे;

(घ) विद्यमान खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ठ) “कार्यालय” से किसी व्यक्ति का शासकीय या निजी कार्य का स्थान अभिप्रेत है।” और

(ड) खण्ड (ण) में—

- (i) उपखण्ड (vii) में “उच्च पदस्थों के साथ” शब्दों का लोप किया जाएगा; और
- (ii) विद्यमान उपखण्ड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(viii) सरकार द्वारा सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा कर्तव्य (ड्यूटी) के निष्पादन के लिए उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यान।”।

3. धारा 3 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 3 की विद्यमान उप धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(1) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सभी सील्ड सड़कें, निम्नलिखित यानों के सिवाय, समस्त मोटर यातायात के लिए बन्द होंगी, अर्थात्:—

- (i) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ सम्बद्ध शासकीय और सुरक्षा यान:

परन्तु लोकोपयोगी यानों से भिन्न तथा भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री के यानों और उनके साथ चलने वाले सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यानों के सिवाय कोर (मध्य) माल रोड़ पर किसी भी यान का चलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री और उनके साथ चलने वाले सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यानों को कोर (मध्य) माल रोड़ और समस्त सील्ड सड़कों पर चलाने के लिए कोई पास अपेक्षित नहीं होगा;

- (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों, हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों/संसदीय सचिवों, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के उपाध्यक्ष के साथ सम्बद्ध सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यान;
- (iii) हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्यों, हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्यों, हिमाचल प्रदेश के कानूनी निकायों के पूर्णकालिक अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश और थल सेना प्रशिक्षण कमांड शिमला के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ को तीन सील्ड सड़कों के लिए:

परन्तु हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य, जो मेट्रोपोल में रह रहा है, को अपना यान कोर (मध्य) माल रोड़ के भाग, शिमला क्लब से मेट्रोपोल, तक चलाया जाना अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु यह और कि संसद सदस्य (शिमला निर्वाचन क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य (शिमला निर्वाचन क्षेत्र) और नगर निगम शिमला के महापौर को समस्त सील्ड सड़कों पर यान चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

- (iv) लोकोपयोगी यान, जिन्हें राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा लोकहित में आवश्यक समझा जाए;

(v) अन्य यान, जिन्हें राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा लोक हित या कार्यात्मक अपेक्षा के आधार पर आवश्यक समझा जाए, निवास के लिए पहुंचने के मामले में एक सील्ड सड़क के लिए, यदि वहां पर गराज या पार्किंग की सुविधा है; और

(vi) इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी विधिमान्य अस्थायी पास धारक यान:

परन्तु यह और कि सचिव (गृह) समय-समय पर लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में, किसी सील्ड सड़क को यातायात के क्रॉस संचलन (क्रॉस मूवमेंट) में बाधा न होने देने के लिए यान की अधिकतम चौड़ाई (व्हील बेस) पर प्रतिबन्ध अधिरोपित कर सकेगा।

(2) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट समस्त प्रतिबन्धित सड़कों, सिवाय निम्नलिखित के, सभी प्रकार के यानीय यातायात के लिए बन्द होंगी, अर्थात्:-

(i) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ सम्बद्ध सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यान:

परन्तु भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री और उनके साथ चलने वाले सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यानों को, समस्त प्रतिबन्धित सड़कों पर चलाने के लिए कोई पास अपेक्षित नहीं होगा;

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के भूतपूर्व मुख्यमन्त्रियों, हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों/संसदीय सचिवों, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के उपाध्यक्ष के साथ सम्बद्ध सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यान;

(iii) हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्यों, हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्यों, हिमाचल प्रदेश के कानूनी निकायों के पूर्णकालिक अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश और थल सेना प्रशिक्षण कर्मांड शिमला के जनरल ऑफिसर कर्मांडिंग-इन-चीफ को चार प्रतिबन्धित सड़कों के लिए:

परन्तु संसद सदस्य (शिमला निर्वाचन क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य (शिमला निर्वाचन क्षेत्र) और नगर निगम शिमला के महापौर को समस्त प्रतिबन्धित सड़कों पर यान चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(iv) लोकोपयोगी यान, जिन्हें राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा लोकहित में आवश्यक समझा जाए;

(v) अन्य यान, जिन्हें उपायुक्त द्वारा लोकहित या कार्यात्मक अपेक्षा के आधार पर आवश्यक समझा जाए, निवास के लिए पहुंचने के मामले में तीन प्रतिबन्धित सड़कों के लिए, यदि वहां पर गराज या पार्किंग की सुविधा है :

परन्तु उन मामलों में जहां सील्ड और प्रतिबन्धित दोनों सड़कों के लिए पास अपेक्षित है, केवल गृह विभाग को उसे जारी करने की शक्तियां होंगी;

(vi) राज्य सरकार की प्रत्यायन समिति द्वारा प्रत्यायित राज्य स्तरीय प्रैस संवाददाता के स्वामित्व वाला एक यान, ऐसी तीन से अनधिक सड़कों के लिए;

(vii) अभिहित पार्किंग स्थलों या समादत्त पार्किंग लॉटों (पेड पार्किंग लाट्स) से मेहमानों को लाने, ले जाने के लिए उस होटल या अन्य बोर्डिंग स्थान की बाबत, जो किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है, दो यानों तक; परन्तु यान, होटल या बोर्डिंग स्थान के स्वामित्वाधीन हों या उसके द्वारा कम से कम तीन मास की अवधि के लिए पट्टे पर लिए गए हों;

(viii) अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी विधिमान्य अस्थायी पास धारक यान; और

(ix) अधिनियम की धारा 9 के अधीन जारी विधिमान्य पर्यटक पास धारक यान।”।

4. धारा 4 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में “राज्य सरकार द्वारा” शब्दों के स्थान पर “सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा” शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) में “सरकारी (शासकीय) कार्य स्थान को पहुंच प्रदान करने के लिए दिया जाएगा और सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क के उस भाग के लिए ही होगा” शब्दों के स्थान पर “कार्यालय को पहुंच प्रदान करने के लिए दिया जाएगा और उस सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क के लिए ही होगा” शब्द रखे जाएंगे और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु केवल यह तथ्य किसी व्यक्ति को पास प्रदान करने के लिए हकदार नहीं बनाएगा कि निवास या कार्यालय सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क पर अवस्थित है।”।

5. धारा 6 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) में विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“परन्तु हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों की दशा में सील्ड सड़क पर यान को चलाने के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए आवेदन, सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा, जो पास को प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु यह और कि हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्यों की दशा में, सील्ड सड़क पर यान को चलाने के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन, उनके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, गृह विभाग को किया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि नगर निगम शिमला के महापौर, उप-महापौर या पार्षदों की दशा में, सील्ड सड़क पर यान को चलाने के लिए पास को प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन, नगर निगम शिमला के आयुक्त को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा जो उसे गृह विभाग को अग्रेषित करेगा।”;

(ख) उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(2) सील्ड सड़क पर यान चलाने हेतु पास के मामले की प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) के लिए प्राइवेट यानों की दशा में एक सौ रुपए की अप्रतिदेय फीस प्रभारित की जाएगी।

(3) प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु दो हजार पांच सौ रुपए फीस प्रति वर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगी:

परन्तु उपधारा (2) और (3) के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के नाम पर रजिस्ट्रीकृत एक प्राइवेट यान को सरकारी (शासकीय) यान समझा जाएगा, यदि ऐसे सदस्य के पास कोई सरकारी (शासकीय) यान नहीं है।”;

(ग) उपधारा (4) में “गृह विभाग द्वारा” शब्दों के स्थान पर “,यथास्थिति, गृह विभाग द्वारा या सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा” चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (5) में—

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(क) यथास्थिति, राज्य सरकार के सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) या कार्यालयाध्यक्ष से सरकारी (शासकीय) यान या लोकोपयोगी यान को अभिनियोजित करने का प्रमाण पत्र; और

(ii) खण्ड (ङ) के पश्चात् विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“परन्तु राज्य सरकार के सरकारी (शासकीय) यानों की बाबत आवेदन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा; उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के मामले में रजिस्ट्रार जनरल या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, स्वायत्त निकायों, कानूनी बोर्डों/निगमों के सरकारी (शासकीय) यानों की बाबत आवेदन, उनके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।”;

(ङ) उपधारा (6) के खण्ड (ख) में “आवास” शब्द के पश्चात् “या कार्यालय” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(च) उपधारा (8) में “जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो” शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर “,यथास्थिति, जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो या सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा” चिन्ह, शब्द और कोष्ठक अंतः स्थापित किए जाएंगे।”।

6. धारा 7 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) में “राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह)” शब्दों और कोष्ठक के स्थान “उपायुक्त” शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“परन्तु हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों की दशा में, प्रतिबन्धित सड़क पर यान को चलाने के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा, जो पास को प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु यह और कि हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्यों की दशा में, प्रतिबंधित सड़क पर यान को चलाने के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन, उनके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, गृह विभाग को किया जाएगा:

परन्तु यह और कि नगर निगम शिमला के महापौर, उप-महापौर या पार्षदों की दशा में प्रतिबंधित सड़क पर यान को चलाने के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन, नगर निगम शिमला के आयुक्त को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा, जो उसे उपायुक्त को अग्रेषित करेगा:

परन्तु यह और भी कि उन सभी मामलों में जहां पास सील्ड और प्रतिबंधित सड़क दोनों के लिए अपेक्षित है, तो पास प्रदान करने हेतु आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा।”;

(ग) विद्यमान उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(2) प्रतिबंधित सड़क पर यान चलाने हेतु पास के मामले की प्रक्रिया (प्रोसैसिंग) के लिए प्राइवेट यानों की दशा में एक सौ रुपए की अप्रतिदेय फीस प्रभारित की जाएगी:

परन्तु धारा 7 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के नाम पर रजिस्ट्रीकृत, एक प्राइवेट यान को, सरकारी (शासकीय) यान समझा जाएगा यदि ऐसे सदस्य को कोई सरकारी (शासकीय) यान उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

(3) प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु एक हजार रुपए की फीस प्रतिवर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगी:

परन्तु धारा 7 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के नाम पर रजिस्ट्रीकृत एक प्राइवेट यान को, सरकारी (शासकीय) यान समझा जाएगा यदि ऐसे सदस्य को कोई सरकारी (शासकीय) यान उपलब्ध नहीं करवाया गया है।”;

(घ) उपधारा (4) में “प्राधिकारी द्वारा या मण्डलायुक्त शिमला के सहायक आयुक्त द्वारा, यदि इसलिए प्राधिकृत है,” शब्दों और चिन्ह के स्थान पर “सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा” शब्द रखे जाएंगे।;

(ङ) उपधारा (5) में—

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(क) यथास्थिति, राज्य सरकार के सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) या कार्यालयाध्यक्ष से सरकारी (शासकीय) यान या लोकोपयोगी यान को अभिनियोजित करने का प्रमाण पत्र;” और

(ii) खण्ड (ङ) के पश्चात् विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“परन्तु राज्य सरकार के सरकारी (शासकीय) यानों की बाबत आवेदन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा; उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामलों में रजिस्ट्रार जनरल या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, स्वायत्त निकायों, कानूनी बोर्डों/निगमों के सरकारी (शासकीय) यानों की बाबत आवेदन, उनके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।”;

- (च) उपधारा (6) के खण्ड (ख) में “आवास” शब्द के पश्चात् “या कार्यालय” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।; और
- (छ) उपधारा (8) में “ऐसे अधिकारी जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो या सहायक आयुक्त,” शब्दों, कोष्ठक और चिन्ह के स्थान पर “जारी करने वाले सम्बद्ध प्राधिकारी” शब्द रखे जाएंगे।

7. धारा 8 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

- (क) विद्यमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) सील्ड सड़क के लिए अस्थाई पास ऐसी शर्तों पर, जो पास में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकारी समारोहों (आफिशियल फंक्शन) के लिए उपलब्ध करवाए गए सरकारी (शासकीय) यानों को केवल ऐसे स्थल, जो ऐसी सील्ड सड़क से ही सुगम्य हो और ऐसा स्थल, यथास्थिति, प्रतिबन्धित सड़क या किसी अन्य सड़क से सुगम्य न हो, लोकहित में जारी किया जाएगा।”;

- (ख) उपधारा (3) में “राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह)” शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, “यथास्थिति, राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) या सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा” चिन्ह, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।;

- (ग) उपधारा (4) में “राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह)” शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर “उपायुक्त, शिमला” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

- (घ) उपधारा (5) में “प्रतिदिन, प्रतियान” शब्दों और चिन्ह के स्थान पर “प्रतिदिन, प्रति प्राइवेट यान” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

- (ङ) विद्यमान उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(6) इस धारा के अधीन अस्थाई पासों को जारी करने के लिए आवेदन, सम्बद्ध विभाग के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।”।

8. धारा 9 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में “गृह विभाग द्वारा अधिसूचना” शब्दों के स्थान पर “उपायुक्त” शब्द रखा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) को शिमला शहर की सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर यानीय यातायात को विनियमित करने और लोक सुरक्षा तथा पैदल चलने वालों की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। हालांकि इस अधिनियम के लागू करने से शिमला शहर की सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर यातायात के जमावड़े में कमी आई है और अत्यधिक सुधार हुआ है, जिससे स्कूल

जाने वाले बच्चों सहित पैदल चलने वालों को होने वाली असुविधा में कमी आई है; परन्तु लोगों की यह भी मांग रही है कि सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों के लिए अनुज्ञापत्र (परमिट) प्रदान करने की केन्द्रित और दुर्वहनीय प्रक्रिया के फलस्वरूप लोगों को आवेदन करने और अनुज्ञापत्र (परमिट) प्राप्त करने में बहुत असुविधा हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ-साथ धन का दुर्व्यय हो रहा है। इसलिए आम जनता को ऐसी सड़कों पर वाहन चलाने हेतु अनुज्ञापत्र (परमिट) प्रदान करना सुकर बनाने और उन्हें अनावश्यक असुविधा से बचाने के लिए सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों के लिए पास जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और पासों के जारी करने को विकेन्द्रित करने का विनिश्चय किया गया है तदनुसार विधान सभा सदस्यों के लिए सचिव, विधानसभा को सील्ड और प्रतिबन्धित पास जारी करने के लिए तथा उपायुक्त शिमला को प्रतिबन्धित सड़कों के लिए पास जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है। यह भी विनिश्चय किया गया है कि सरकारी वाहनों से कोई प्रक्रिया (प्रोसैसिंग) और पास फीस प्रभारित न की जाए तथा निजी (प्राइवेट) पासों के लिए प्रक्रिया (प्रोसैसिंग) फीस पांच सौ रुपए से सौ रुपए की जाए और निजी (प्राइवेट) पासों के लिए पास फीस दो हजार रुपए (प्रतिबन्धित सड़कों के लिए) से एक हजार रुपए प्रति सड़क प्रतिवर्ष की जाए। विशेष श्रेणियों जैसे 'पदस्थ', 'भूतपूर्व पदस्थ', 'भूतपूर्व उच्च पदस्थ', 'भूतपूर्व शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति', 'उच्च पदस्थ' और शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति, को भेदमूलक (भेदपूर्ण) स्वरूप का होने के कारण, का उक्त अधिनियम से लोप करने (हटाने) का भी विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख....., 2009

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 4) के उपबन्धों के उद्धरण।

धाराएं :

2. परिभाषाएं.—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) XXX XXX XXX

(ख) “कोर (मध्य) माल रोड़” से शिमला क्लब से केन्द्रीय तारघर कार्यालय तक माल रोड़ का भाग अभिप्रेत है;

(ग) “उपायुक्त” से जिला के सामान्य प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(गग) “पदस्थ” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्य और हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य;

(ii) राज्य सरकार का मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव;

(iii) हिमाचल प्रदेश का महाधिवक्ता;

(iv) थलसेना प्रशिक्षण कमांड शिमला का जरनल ऑफिसर कमांडिंग—इन—चीफ;

(v) हिमाचल प्रदेश के बोर्डों, निगमों या कानूनी (वैधानिक) आयोगों के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य जो पंक्ति (रैंक) में मुख्य सचिव के समतुल्य हो या इससे ऊपर के हों;

(घ) XXX XXX XXX

(घघ) “भूतपूर्व पदस्थ” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी समय पदस्थ का पद धारण किया हो;

(ङ) “भूतपूर्व उच्च पदस्थ” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी समय राज्य सरकार के किसी उच्च पदस्थ का पद धारण किया हो;

(च) “भूतपूर्व शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी समय शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति का पद धारण किया हो;

(छ) से (झ) तक XXX XXX XXX

(ज) “उच्च पदस्थ” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल;

(ii) हिमाचल प्रदेश का मुख्य मन्त्री;

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा का अध्यक्ष;

(iv) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश;

(v) हिमाचल प्रदेश के मन्त्री;

(vi) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; और

(vii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा का उपाध्यक्ष;

(ट) XXX XXX XXX

(ठ) “शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) सुपर टाईम वेतनमान या इससे अधिक वेतनमान में, शिमला में तैनात, केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी और राज्य न्यायपालिका के अधिकारी;

(ii) मेजर—जनरल या इससे ऊपर की पंक्ति के शिमला में तैनात सैन्य अधिकारी;

(iii) नगर निगम शिमला का महापौर, उप—महापौर और पार्षद; और

(iv) सुपरटाईम वेतनमान और इससे अधिक के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश के बोर्डों या कानूनी (वैधानिक) आयोगों के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य।

(ड) से (ढ) तक XXX XXX XXX

(ण) “लोकोपयोगी यान” से आवश्यक सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाए जाने वाले निम्नलिखित वाहन अभिप्रेत हैं:—

(i) आग बुझाने वाले यान;

(ii) रोगी वाहन और मृतक वाहन (डैड बॉडी वैन);

(iii) डाक वाहन;

(iv) संचार एवं अन्य सेवाओं के रख—रखाव के लिए अभिनियोजित यान या गृह विभाग द्वारा अनुमोदित लोक परिवहन यान;

(v) गृह विभाग द्वारा अनुमोदित सरकारी (शासकीय) यानों सहित नगर निगम शिमला द्वारा स्वच्छता, जल आपूर्ति और अन्य नागरिक सेवाओं के रख—रखाव के लिए अभिनियोजित तथा नगर निगम अधिकारियों द्वारा दिन प्रतिदिन के निरीक्षण और उक्त सेवाओं के निष्पादन में उपयोग किए जाने वाले यान;

(vi) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (बोर्ड), सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग तथा नगर निगम शिमला आदि से सम्बन्धित भारी वाहन जो किसी निर्माण या अनुरक्षण क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए अभिनियोजित किए गए हों;

(vii) जिला प्रशासन, शिमला तथा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा उच्च पदस्थों के साथ प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए अपेक्षित सरकारी यान; और

(2) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट समस्त प्रतिबन्धित सड़कें सिवाय निम्नलिखित के सभी प्रकार के यानी यातायात के लिए बन्द होंगी, अर्थात:—

- (i) प्रत्येक उच्च पदस्थ के एक शासकीय यान और उनके साथ चलने वाले सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यान;
- (ii) राज्य के प्रत्येक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का एक यान;
- (iii) लोकोपयोगी यान, जैसा राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा लोक हित में आवश्यक समझे जाएं;
- (iv) पदस्थ या शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रयोग के लिए उद्दिष्ट (ईअरमार्क) एक सरकारी यान ऐसी तीन सड़कों के लिए जिन पर उसका चलाना लोक हित में है;
- (v) उच्च पदस्थ या पदस्थ या शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति या भूतपूर्व उच्च पदस्थ या भूतपूर्व पदस्थ या भूतपूर्व शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति या राज्य सरकार की प्रत्यायन समिति द्वारा प्रत्यायित राज्य स्तरीय प्रैस संवाददाता के स्वामित्व वाला एक यान ऐसी तीन सड़कों से अधिक के लिए नहीं;
- (vi) अभिहित पार्किंग स्थलों या समादत्त पार्किंग लॉटों (पेड पार्किंग लॉट्स) से मेहमानों को लाने ले जाने के लिए उस होटल या अन्य बोर्डिंग स्थान की बाबत, जो किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है, दो यानों तक; परन्तु यान होटल/ बोर्डिंग स्थान के स्वामित्वाधीन हो या उसके द्वारा कम से कम तीन मास की अवधि के लिए पट्टे पर लिए गए हों;
- (vii) ऐसी प्रतिबन्धित सड़क पर स्थित सम्पत्ति में साधारणतया निवास करने वाले, जहां सम्पत्ति किसी अप्रतिबन्धित सड़क से सुगम्य नहीं है, गृहस्वामी या अधिभोगी की बाबत एक यान;
- (viii) सील्ड या प्रतिबन्धित सड़कों पर अवस्थित केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों से सम्बद्ध सरकारी यान उन्हें किसी सुविधाजनक प्रतिबन्धित सड़क के माध्यम से कार्यालय तक युक्तियुक्त परिवहन पहुँच दिलाने के लिए, यदि कार्यालय किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है;
- (ix) अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी विधिमाम्य अस्थायी पास धारक यान; और
- (x) अधिनियम की धारा 9 के अधीन जारी विधिमाम्य पर्यटक पास धारक यान।

स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई स्थान किसी अन्य सड़क से सुगम्य समझा जाएगा यदि वह ऐसी सड़क से सौ मीटर की पथ दूरी के भीतर स्थित है।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार का सचिव (गृह) यातायात के आवागमन (क्वाण्टम) और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट प्रतिबन्धित सड़क पर चलाने के लिए यानों की अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा ताकि पैदल चलने वालों को खतरा, असुविधा या क्षोभ कारित न हो।

4. पास जारी करना.—(1) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम में उपबन्धित रीति में, धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों और इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों के अधधीन पास जारी किए जाने पर यानों के अनुसूची 1 या 2 में विनिर्दिष्ट सड़कों पर चलाए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु किसी भी यान को तब तक पास प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' की बाबत विधिमाम्य प्रमाण पत्र न हो।

(2) पास, लोक हित में निवास या सरकारी (शासकीय) कार्य-स्थान को पहुँच प्रदान करने के लिए दिया जाएगा और सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क के उस भाग के लिए ही होगा जो निकटतम अन्य सड़क पर पहुँच के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है।

(3) जहां प्रतिबन्धित सड़क के लिए पासों की अधिकतम संख्या नियत की गई है वहां निम्नलिखित को अधिमान दिया जाएगा,—

(क) वरिष्ठ नागरिक और स्थायी रूप से निःशक्त (विकलांग); और

(ख) जिनका गराज/पार्किंग स्थान/ड्राइववेज या अन्य नियमित पार्किंग प्रबन्ध है।

(4) सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क पर निवास स्थान होने के कारण प्रति परिवार या निवास को एक से अधिक पास नहीं दिया जाएगा और केवल यह तथ्य कि निवास या सरकारी (शासकीय) कार्य-स्थान सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क पर है, पास प्रदान करने का हकदार नहीं बनाएगा।

6. सील्ड सड़कों के लिए पास प्रदान करने और नवीकरण करने हेतु आवेदन तथा प्रक्रिया:—(1) सील्ड सड़क पर यान चलाने के लिए पास को प्रदान करने हेतु आवेदन, ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, और राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा :

परन्तु हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों तथा भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों की दशा में, सील्ड सड़क पर यान को चलाने के लिए पास को प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को संबोधित (प्रेषित) किया जाएगा।

(2) सील्ड सड़क पर यान चलाने हेतु पास के मामले की प्रक्रिया के लिए सरकारी यान की दशा में सौ रुपए और प्राइवेट यान के लिए पांच सौ रुपए की अप्रतिदेय फीस प्रभारित की जाएगी।

(3) सरकारी यान के लिए पास प्रदान करने हेतु एक हजार रुपए फीस और प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु दो हजार पांच सौ रुपए फीस प्रतिवर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगी:

परन्तु लोकोपयोगी यानों की बाबत कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी।

(4) सील्ड सड़क पर यान चलाने के लिए पास का, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर, गृह विभाग द्वारा प्रतिवर्ष नवीकरण किया जा सकेगा और यदि आवेदक इसकी विधिमान्य अवधि के अवसान से पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है तो पास व्यपगत समझा जाएगा:

परन्तु यदि आवेदक साबित कर देता है कि उसके पास नवीकरण के लिए समय पर आवेदन न करने के पर्याप्त कारण थे तो पास उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर, दो सौ रुपए प्रतिमास विलम्ब फीस या उसके भाग सहित, नवीकृत किया जा सकेगा।

(5) सरकारी यान के लिए पास प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) यथास्थिति, राज्य सरकार के सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) या कार्यालयाध्यक्ष से इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र कि यान को, यथास्थिति, उच्च पदस्थ या पदस्थ या सम्बद्ध शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ अभिनियोजित किया गया है; या यह एक लोकोपयोगी यान है;

(ख) आवेदक द्वारा इस प्रभाव का स्वतः प्रमाणन (जहां लागू हो) कि उसका कार्यालय/निवास सील्ड सड़क पर है और वह किसी प्रतिबन्धित या किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है;

(ग) नए आवेदन की दशा में प्रक्रिया फीस के संदाय का सबूत और पास के नवीकरण की दशा में पूर्व पास की एक फोटो प्रति;

(घ) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' की बाबत विधिमान्य प्रमाण पत्र की प्रति; और

(ङ) ऐसे अन्य दस्तावेज, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परन्तु उच्च पदस्थों और उन्हें सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यानों की बाबत आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामलों में रजिस्ट्रार जनरल या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आवेदन करेगा।

(6) प्राइवेट यान के लिए पास को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) सबूत के तौर पर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति कि आवेदक यान का स्वामी है;

(ख) सील्ड सड़क पर आवेदक के आवास की बाबत स्वतः प्रमाणित सबूत (जहाँ लागू हो);

(ग) उपायुक्त शिमला के कार्यालय के सम्यक रूप से प्राधिकृत, अधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि सील्ड सड़क पर आवास किसी भी प्रतिबन्धित सड़क या किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है और आवेदक का अपना गराज है और पार्किंग की उसके पास सुविधा है;

(घ) नए आवेदन की दशा में प्रक्रिया फीस के संदाय का सबूत और पास के नवीकरण की दशा में पूर्व पास की एक फोटोप्रति;

(ङ) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' की बाबत विधिमान्य प्रमाण पत्र की प्रति; और

(च) ऐसे अन्य दस्तावेज जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) सभी आवेदन इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन अभिस्वीकृत किए जाएंगे, रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और प्रक्रिया में लाए जाएंगे।

(8) सील्ड सड़क के लिए पास, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर ऐसे अधिकारी जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो, के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जारी किया जाएगा और पास का ऐसा सुभिन्न रंग और आकार होगा, जैसा गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए तथा पास को यान की विण्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यदि पास एक से अधिक सील्ड सड़क की बाबत जारी किया गया है, तो समेकित पास ऐसे प्ररूप में जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर जारी किया जा सकेगा।

7. प्रतिबन्धित सड़कों के लिए पास प्रदान करने और नवीकरण करने हेतु आवेदन तथा प्रक्रिया.

—(1) प्रतिबन्धित सड़क पर यान चलाने के लिए पास प्रदान करने हेतु आवेदन, ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा :

परन्तु हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों तथा भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों की दशा में, प्रतिबन्धित सड़क पर यान को चलाने के लिए पास के प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा।

(2) प्रतिबन्धित सड़क पर यान चलाने हेतु पास के मामले की प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) हेतु सरकारी यान के लिए सौ रुपए और निजी (प्राइवेट) यान के लिए पांच सौ रुपए की अप्रतिदेय प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) फीस प्रभारित की जाएगी।

(3) सरकारी यान हेतु पास प्रदान करने के लिए एक हजार रुपए की फीस और निजी (प्राइवेट) यान हेतु पास प्रदान करने के लिए दो हजार रुपए की फीस प्रति सड़क, प्रतिवर्ष प्रभारित की जाएगी :

परन्तु लोकोपयोगी यानों से कोई भी फीस प्रभार्य नहीं होगी।

(4) प्रतिबन्धित सड़क पर यान चलाने हेतु पास को इसे जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा या मण्डलायुक्त शिमला के सहायक आयुक्त द्वारा, यदि इसलिए प्राधिकृत है, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर प्रतिवर्ष नवीकृत किया जा सकेगा और यदि इसकी विधिमान्यता अवधि के अवसान से पूर्व आवेदक द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन नहीं किया जाता है, तो पास व्यपगत हो जाएगा:

परन्तु यदि आवेदक साबित कर देता है कि समय के भीतर नवीकरण हेतु आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण थे तो पास प्रतिमास या उसके भाग के लिए दो सौ रुपए की विलम्ब फीस के साथ विहित फीस के संदाय पर नवीकृत किया जा सकेगा।

(5) सरकारी यान हेतु प्रतिबन्धित सड़क के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यथास्थिति, सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राज्य सरकार या कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण—पत्र कि यान, यथास्थिति, सम्बद्ध उच्च पदस्थ या पदस्थ या शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ सम्बद्ध है या लोकोपयोगी यान है;

(ख) सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) या कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस प्रभाव का स्वयं का प्रमाणन (जहां लागू हो) कि कार्यालय या आवास, यथास्थिति, सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क पर है और वह किन्हीं प्रतिबन्धित या अन्य सड़कों से सुगम्य नहीं है;

(ग) नए आवेदन की दशा में प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) फीस के संदाय का सबूत और पास के नवीकरण की दशा में पूर्व पास की एक फोटो प्रति;

(घ) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' की बाबत विधिमान्य प्रमाण—पत्र की प्रति; और

(ङ) ऐसे अन्य दस्तावेज जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु उच्च पदस्थों और उन्हें सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यानों की बाबत आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामलों में रजिस्ट्रार जनरल या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आवेदन करेगा।

(6) निजी (प्राइवेट) यान हेतु प्रतिबन्धित सड़क का पास प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) सबूत के तौर पर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति, कि आवेदक यान का स्वामी है;

(ख) आवेदक के आवास का, यथास्थिति, सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क पर होने का स्वतः प्रमाणित सबूत (जहां लागू हो);

(ग) उपायुक्त शिमला के कार्यालय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण—पत्र (जहां लागू हो) कि आवास, यथास्थिति, सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क पर है; और

किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है तथा आवेदक का अपना गराज है या नियमित पार्किंग की उसके पास सुविधा है;

(घ) नए आवेदन की दशा में प्रक्रिया (प्रोसैसिंग) फीस के संदाय का सबूत और पास के नवीकरण की दशा में पूर्व पास की एक फोटोप्रति;

(ङ) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी 'प्रदूषण नियन्त्रण में है', की बाबत विधिमान्य प्रमाण-पत्र की प्रति; और

(च) ऐसे अन्य दस्तावेज जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) सभी आवेदन, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभिस्वीकृत किए जाएंगे, रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और प्रक्रिया में लाए जाएंगे।

(8) प्रतिबन्धित सड़क के लिए पास उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर, ऐसे अधिकारी जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो या सहायक आयुक्त, के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जारी किया जाएगा और पास का ऐसा सुभिन्न रंग और आकार होगा, जैसा गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए तथा पास को यान की विन्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु यदि पास एक से अधिक प्रतिबन्धित सड़क की बाबत जारी किया गया है, तो समेकित पास ऐसे प्ररूप में जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर जारी किया जाएगा।

8. कतिपय परिस्थितियों में अस्थायी पास प्रदान करना.—(1) सील्ड सड़क के लिए अस्थायी पास, ऐसी शर्तों पर जो पास में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकारी समारोहों (औफिशियल फंक्शनज) आदि के कारण, राज्य के बाहर के उच्च पदस्थ व्यक्ति के सरकारी यान को और सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यानों को या पदस्थ के यान को या शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति को, जो ऐसे स्थल पर भाग ले रहा है जो ऐसी सील्ड सड़क से ही सुगम्य हो और जहां स्थल, यथास्थिति, प्रतिबन्धित सड़क या किसी अन्य सड़क से सौ मीटर से अनधिक की पथ दूरीस्वरूप सुगम्य न हो लोकहित में जारी किया जाएगा।

(2) अस्थायी पास, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो पास में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे लोकोपयोगी यान को भी जारी किया जा सकेगा जिसका ऐसी सील्ड सड़कों पर चलाया जाना लोकहित में है।

(3) सील्ड सड़क के लिए अस्थायी पास का आवेदन, दो सौ रुपए प्रतिदिन प्रतियान की फीस के संदाय पर, सात दिन की अधिकतम अवधि के लिए, राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, कम से कम दो दिन अग्रिम में, समर्थक दस्तावेजों के साथ किया जाएगा और पास ऐसे प्ररूप में, जैसा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी अधिकारी, जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो, के हस्ताक्षरों और मुहर (मुद्रा) के अधीन जारी किया जाएगा; और उक्त पास का ऐसा सुभिन्न रंग और आकार होगा, जैसा गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए; और उसे यान की विन्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यदि पास एक से अधिक सील्ड सड़क के लिए जारी किया गया है, तो एक समेकित पास, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, धारा 6 की उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर जारी किया जाएगा।

(4) प्रतिबन्धित सड़क के लिए अस्थायी पास, राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को किए गए आवेदन पर, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसके समर्थन में दिए गए कारणों सहित, प्रतिदिन सौ रुपए की फीस के संदाय पर, सात दिन की अधिकतम अवधि के लिए इस शर्त के अध्वधीन कि यान को चलाए जाने से पैदल चलने वालों को कोई खतरा या क्षोभ कारित होने की संभावना न हो; और उक्त पास का ऐसा सुभिन्न रंग और आकार होगा जैसा गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए और उसे यान की विन्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यदि पास एक से अधिक प्रतिबन्धित सड़क के लिए जारी किया गया है, तो समेकित पास ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर जारी किया जाएगा।

(5) फिल्मों के फिल्मांकन (शूटिंग) के प्रयोजनार्थ या किसी वाणिज्यिक मनोरंजन के प्रयोजनार्थ सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों के लिए अस्थायी पास राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा अधिकतम दस यानों तक प्रतिदिन, प्रतियान, तीन हजार रुपए की फीस के संदाय पर, सात दिन की अधिकतम अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे :

परन्तु पैदल चलने वालों को किसी खतरे या क्षोभ से निवारित करने के लिए, पास को जारी करते समय इसकी विधिमाम्यता के घण्टों और पार्किंग निर्बन्धनों के सम्बन्ध में शर्तें अधिरोपित की जा सकेंगी।

(6) इस धारा के अधीन अस्थायी पास, राष्ट्रीय स्तर के उच्च पदस्थों और उनके साथ चल रहे सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाए गए यानों को सामान्य प्रशासन विभाग के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर जारी किए जा सकेंगे।

9. पर्यटक पास प्रदान करना.—(1) शिमला शहर में आने वाला पर्यटक, ऐसे पर्यटन सुविधा केन्द्रों, जो गृह विभाग द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, पर प्रतिबन्धित सड़क के लिए पर्यटक पास हेतु आवेदन कर सकेगा।

(2) पर्यटक पास, ऐसी शर्तों पर जैसी पास में विनिर्दिष्ट की जाएं, सात दिन की अधिकतम अवधि के लिए, प्रति प्रतिबन्धित सड़क, प्रतियान, प्रति दिन, सौ रुपए की फीस के संदाय पर इस शर्त के अध्याधीन जारी किया जा सकेगा कि यान चलाने से पैदल चलने वाले यात्रियों को खतरा या क्षोभ होना सम्भाव्य न हो।

(3) पास का ऐसा सुभिन्न रंग तथा आकार होगा जैसा गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए और पर्यटक पास को यान की विण्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु पर्यटक पास को यदि एक से अधिक प्रतिबन्धित सड़क के लिए जारी किया गया है, तो एक समेकित पास ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर जारी किया जाएगा :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार जनहित में प्रतिबन्धित सड़कों पर पर्यटक अनुज्ञा-पत्रों की संख्या विनियमित कर सकेगी, जिसके लिए ऐसे अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकेगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 18 of 2009

**THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND
CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2009**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act,
2007 (Act No. 2 of 2008).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :-

1. Short title.—This Act may be called the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Amendment Act, 2009.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in sub-section (1)—

- (a) clauses (cc), (dd), (e), (f), (j), and (u) shall be deleted;
- (b) in clause (b), after the words “Central Telegraph Office”, the words “ and Ridge” shall be inserted;
- (c) in clause (c), for the words “a District”, the words “District Shimla” shall be substituted;
- (d) for existing clause (l), the following clause shall be substituted, namely:-
“(l) “office” means the official or the private work place of a person;”;
- (e) in clause (o)-
 - (i) in sub-clause(vii), the words “with High Dignitaries” shall be deleted; and
 - (ii) for existing sub-clause (viii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(viii) Security Vehicles provided by the Government for security personnel for performing security duties.”.

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act, for existing sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely :-

- “(1) All sealed roads specified in Schedule-I shall be sealed to all motorized traffic, except the following vehicles, namely:-
- (i) Official and security vehicles attached with the President of India, the Vice-President of India, the Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh and the Chief Minister of Himachal Pradesh:

Provided that no vehicle other than public utility vehicle shall be permitted to ply on the Core Mall Road, except vehicles of the President of India, the Vice-President of India, the Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh, the Chief Minister of Himachal Pradesh and their accompanying official and security vehicles:

Provided further that vehicles of the President of India, the Vice-President of India, the Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh, the Chief Minister

of Himachal Pradesh and their accompanying official and security vehicles shall require no pass for plying on Core Mall Road and all sealed roads;

- (ii) Official and security vehicles attached with the Speaker of Himachal Pradesh State Legislative Assembly, Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, Former Chief Ministers of the State, Ministers of Himachal Pradesh, Chief Parliamentary Secretaries/Parliamentary Secretaries, Judges of Himachal Pradesh High Court and Deputy Speaker of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly;
- (iii) Members Parliament from Himachal Pradesh, Members of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly, Full time Chairmen and Full time Members of Statutory Bodies of Himachal Pradesh, Chief Secretary to the State Government, the Advocate General of Himachal Pradesh, Director General of Police, Himachal Pradesh and General Officer Commanding-in-Chief, Army Training Command, Shimla for upto 3 sealed roads:

Provided that a Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh who is residing in Metropole shall be permitted to ply his vehicle on portion of Core Mall Road from Shimla Club to Meteropole :

Provided further that Member of Parliament (Shimla Constituency) Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh (Shimla Constituency) and Mayor, Municipal Corporation, Shimla shall be permitted to ply vehicles on all sealed roads;

- (iv) Public utility vehicles as deemed necessary in the public interest by the Secretary (Home) to the State Government;
- (v) Other vehicles, as deemed necessary in the public interest or on the grounds of functional requirement by the Secretary (Home) to the State Government, for upto one sealed road, provided in case for approaching residence there is garage or parking facility;
- (vi) Vehicles holding a valid temporary pass issued under section 8 of this Act:

Provided further that the Secretary (Home) may, from time to time, impose restrictions on the maximum width (wheel base) of a vehicle for any sealed road in the interest of public safety and convenience so as to prevent hindrance to cross movement of traffic.

(2) All restricted roads specified in Schedule-II shall be closed to all motorized traffic, except the following vehicles, namely:-

- (i) Official and Security vehicles attached with the President of India, the Vice-President of India, the Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh and the Chief Minister of Himachal Pradesh:

Provided that vehicles of President of India, Vice President of India, Prime Minister of India, Governor of Himachal Pradesh and Chief Minister of Himachal Pradesh and their accompanying official and security vehicles shall require no pass for plying on all restricted roads;

- (ii) Official and security vehicles attached with the Speaker of Himachal Pradesh State Legislative Assembly, Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, Former Chief

Ministers of the State, Ministers of Himachal Pradesh, Chief Parliamentary Secretaries/Parliamentary Secretaries, Judges of Himachal Pradesh High Court and Deputy Speaker of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly;

- (iii) Members of Parliament from Himachal Pradesh, Members of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly, Full time Chairmen and Full time Members of Statutory Bodies of Himachal Pradesh, Chief Secretary to the State Government, Director General of Police, Himachal Pradesh and General Officer Commanding-in-Chief, Army Training Command, Shimla for upto 4 restricted roads:

Provided that Member of Parliament (Shimla Constituency), Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh (Shimla Constituency) and Mayor, Municipal Corporation, Shimla shall be permitted to ply vehicles on all restricted roads;

- (iv) Public utility vehicles as deemed necessary in the public interest by the Secretary (Home) to the State Government;
- (v) Other vehicles, as deemed necessary in the public interest or on the grounds of functional requirement by the Deputy Commissioner, for upto three restricted roads, provided in case for approaching residence there is garage or parking facility:

Provided that in cases where pass is required both for sealed and restricted roads, only Home Department shall have the powers to issue the same;

- (vi) One private vehicle owned by a State Level Press Correspondent accredited by the Accreditation Committee of the State Government, for not more than three such roads;
- (vii) Upto two vehicles in respect of a Hotel or other boarding place, not approachable from any other road, in order to carry guests from designated parking places or paid parking lots; provided that the vehicle is owned or leased by the Hotel or boarding place for a period of not less than three months;
- (viii) Vehicles holding a valid temporary pass issued under section 8 of the Act; and
- (ix) Vehicles holding a valid tourist pass issued under section 9 of the Act.”.

4. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act,-

- (a) in sub-section (1), for the words “by the State Government”, the words “by the concerned authorities” shall be substituted; and
- (b) in sub-section (2), for the words “official work place in the public interest and shall be for only that portion of the”, the words “office in the public interest and shall be for only that” shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that mere fact that residence or office is located on a sealed or restricted road shall not entitle a person for grant of a pass.”.

5. *Amendment of section 6.*—In section 6 of the principal Act,-

- (a) in sub-section (1), for the existing proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

“Provided that in the case of Speaker, Deputy Speaker or Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, an application for grant or renewal of a pass for plying of a vehicle on a sealed road shall be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, who shall be competent to grant or renewal the pass:

Provided further that in the case of the Members of Parliament from Himachal Pradesh, the application for grant or renewal of a pass for plying a vehicle on a sealed road shall be made to the Home Department by a person duly authorized by them:

Provided further that in the case of the Mayor, the Deputy Mayor or the Councilors, Municipal Corporation, Shimla, the application for grant or renewal of a pass for plying a vehicle on a sealed road shall be addressed to the Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, who shall forward the same to the Home Department.”;

- (b) for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:-

“(2) A non-refundable fee of Rs.100/- for private vehicles shall be charged for processing of a case for a pass for plying of a vehicle on a sealed road.

(3) A fee of Rs.2500/- shall be charged for grant of a pass for a private vehicle per road, per annum:

Provided that one private vehicle registered in the name of the Member of Himachal Pradesh Legislative Assembly shall be deemed to be official vehicle for the purpose of sub-sections (2) and (3), in case such Member has no official vehicle.”;

- (c) in sub-section (4), after the words “by the Home Department”, the words “ or by the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, as the case may be,” shall be inserted;

- (d) in sub-section (5)-

- (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

“(a) A certificate of deployment of a official vehicle or public utility vehicle from the Secretary (General Administration Department) to the State Government or the Head of the office, as the case may be; and

- (ii) in clause (e), for the existing proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

“Provided that in respect of official vehicles of the State Government, the application shall be made by an authorized officer of the General Administration Department, except in cases of Judges of the High Court of Himachal Pradesh in

respect of which the Registrar General or an officer authorized in this behalf, shall make an application:

Provided further that in respect of official vehicles of the Central Government, Autonomous Bodies, Statutory Boards or Corporations, the application shall be made by their authorized officer.”;

- (e) in sub-section (6), in clause (b), after the words “of residence”, the words “or office” shall be inserted; and
- (f) in sub-section (8), after the words, “to the State Government”, the words and signs “or the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, as the case may be,” shall be inserted.”.

6. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act , -

- (a) in sub-section (1), for the words and brackets, “Under Secretary (Home) to the State Government”, the words “Deputy Commissioner” shall be substituted;
- (b) for the existing proviso to sub-section (1), the following provisos shall be substituted, namely:-

“Provided that in the case of the Speaker, Deputy Speaker or Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, an application for grant or renewal of a pass for plying a vehicle on a restricted road shall be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, who shall be competent to grant or renew the pass:

Provided further that in the case of the Members of Parliament from Himachal Pradesh, the application for grant or renewal of a pass for plying a vehicle on a restricted road shall be made to the Home Department by a person duly authorized by them:

Provided further that in the case of the Mayor, the Deputy Mayor or the Councilors, Municipal Corporation, Shimla, the application for grant or renewal of a pass for plying a vehicle on a restricted road shall be addressed to the Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, who shall forward the same to Deputy Commissioner:

Provided further that all cases where pass is required both for sealed and restricted roads, the application for grant of a pass shall be made, in such form as may be specified by a notification and addressed to the Under Secretary(Home) to the State Government.”;

- (c) for the existing sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely :-

“(2) A non-refundable fee of Rs.100/- for private vehicles shall be charged for processing of a case for a pass for plying a vehicle on a restricted road:

Provided that one private vehicle registered in the name of the Member of Himachal Pradesh Legislative Assembly shall be deemed to be official vehicle for

the purposes of sub-section (2) of section 7, in case such Member has no official vehicle.

(3) A fee of Rs.1000/- shall be charged for grant of a pass for a private vehicle per road per annum:

Provided that one private vehicle registered in the name of the Member of Himachal Pradesh Legislative Assembly shall be deemed to be official vehicle for the purposes of sub-section (3) of section 7, in case such Member has no official vehicle.”;

(d) in sub-section (4), for the words and signs “issuing authority or by Assistant Commissioner to Divisional Commissioner, Shimla if so authorized,”, the words “concerned issuing authority” shall be substituted.;

(e) in sub-section (5)-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) A certificate of deployment of official vehicle or public utility vehicle from the Secretary (General Administration Department) to the State Government or the Head of office, as the case may be;”;

(ii) after clause (e), for the existing proviso, the following provisos shall be substituted, namely :-

“Provided that in respect of official vehicles of the State Government, the application shall be made by an authorized officer of the General Administration Department, except in cases of Judges of the High Court of Himachal Pradesh in respect of which the Registrar General or an officer authorized in this behalf, shall make an application:

Provided further that in respect of official vehicles of the Central Government, Autonomous Bodies, Statutory Boards or Corporations, the application shall be made by their authorized officer.”;

(f) in sub-section (6), in clause (b), after the words “of residence”, the words “or office” shall be inserted.; and

(g) in sub-section (8), for the words and brackets “an officer not below the rank of the Under Secretary (Home) to the State Government or the Assistant Commissioner”, the words “concerned issuing authority” shall be substituted.

7. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act,-

(a) for existing sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) A temporary pass may be issued on such conditions as may be specified in the pass, in the public interest for a sealed road, to the official vehicles deployed for official function at a venue approachable only by sealed road and such venue is not approachable from a restricted road or any other road, as the case may be.”;

- (b) in sub-section (3), after the words “the State Government”, the words and signs “or the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, as the case may be,” shall be inserted.;
- (c) in sub-section (4), for the words and brackets, “the Under Secretary (Home) to the State Government”, the words and signs “the Deputy Commissioner, Shimla” shall be substituted;
- (d) in sub-section (5), after the words “ per day per”, the word “ private” shall be inserted;
- (e) for the existing sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely :-

“(6) The application for issue of temporary passes under this section may be made by an authorized officer of the concerned Department.”.

8. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “Home Department by a notification”, the words “the Deputy Commissioner” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (Act No. 2 of 2008) was enacted for regulating the vehicular traffic on sealed and restricted roads of Shimla Town and to ensure the public safety and convenience of pedestrians. Though with the enforcement of the Act, the traffic congestion on the sealed and restricted roads of the Shimla town has been reduced and rationalized considerably, minimizing the inconvenience to the pedestrians including the school going children, but there is also demand from the public that due to centralized and cumbersome procedure for issuance of permit for sealed and restricted roads, people are facing lot of inconvenience in making applications and in getting permits resulting in wastage of time and money. Thus, in order to further facilitate the grant of passes to the general public for plying vehicles on such roads and to avoid unnecessary inconvenience to them, it has been decided to simplify the procedure for issuance of passes for sealed and restricted roads and to decentralize the issuance of passes. Accordingly, Secretary, State Legislative Assembly is being authorized to issue sealed and restricted passes to Members of Legislative Assembly and Deputy Commissioner, Shimla, to issue passes for restricted roads. It has also been decided not to charge any processing and pass fee from Government vehicles as the Government money on account of processing fees and permit fee was being transferred from one Head to another Head, which was the meaningless exercise. It has also been decided to reduce the processing fee from Rs.500/- to Rs.100/- for private passes and pass fee from Rs. 2000/- (for restricted road) to Rs. 1000/- per road per annum for private passes. It has also been decided to delete special categories such as ‘Dignitary’, ‘former Dignitary’, ‘former high Dignitary’, ‘former official personage’, ‘high Dignitary’ and ‘official Personage’ from the said Act being discriminatory in nature. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
CHIEF MINISTER.

SHIMLA:

The, 2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

EXTRACT OF PROVISIONS OF THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) ACT, 2007(ACT NO. 2 OF 2008) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS BILL

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) xxx xxx

(b) ‘Core Mall Road’ means the portion of the Mall Road from Shimla Club to Central Telegraph Office;

(c) ‘Deputy Commissioner’ means the Chief Officer-in-charge of the general administration of a District;

(cc) ‘Dignitary’ means,—

(i) the Members of Parliament from Himachal Pradesh and Members of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh;

(ii) Chief Secretary and Additional Chief Secretary to the State Government;

(iii) the Advocate-General of Himachal Pradesh;

(iv) General Officer Commanding-in-Chief, Army Training Command, Shimla;

(v) Full time Chairmen and Members of Boards or Corporations or Statutory Commissions of Himachal Pradesh in rank equivalent to or above Chief Secretary;

- (d) xxx xxx

(dd) ‘former Dignitary’ means any person who has held at any time any of the offices of a Dignitary;

(e) ‘former High Dignitary’ means any person who has held at any time any of the offices of High Dignitary of the State;

(f) ‘former Official Personage’ means any person who has held at any time any of the offices of Official Personage;

(g) to (i) xxx xxx

(j) ‘High Dignitary’ means,—

(i) The Governor of Himachal Pradesh;

(ii) The Chief Minister of Himachal Pradesh;

(iii) The Speaker of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly;

(iv) The Chief Justice of Himachal Pradesh High Court;

(v) Ministers of Himachal Pradesh;

(vi) Judges of Himachal Pradesh High Court; and

(vii) Deputy Speaker of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly;

(k) xxx xxx xxx

(l) ‘Official Personage’ means,—

(i) Central or State Government officers and officers of the State Judiciary, in Super Time Scale or above, posted in Shimla;

(ii) The Military Officers of the rank of Major-General and above, posted in Shimla;

(iii) the Mayor, Deputy Mayor and Councilors, Municipal Corporation, Shimla; and

(iv) Full time Chairmen and Members of Boards or Corporations or Statutory Commissions of Himachal Pradesh, in super time scale and above.

(m) to (n) xxxx xxxx xxxx

(o) ‘Public utility vehicles’ means the following vehicles, used or being used for carrying out essential service:—

(i) Fire fighting vehicles;

(ii) Ambulances and dead body vans;

(iii) Postal Mail vehicles;

- (iv) Vehicles deployed for maintenance of communications and other public services and public transport vehicles approved by Home Department;
 - (v) Vehicles deployed for maintenance of sanitation, water supply and other civic services by the Municipal Corporation, Shimla including official vehicles approved by the Home Department and to be used by the Municipal Corporation officers for day-to-day inspection and maintenance of the said services;
 - (vi) Heavy vehicles belonging to the Central Public Works Department, Himachal Pradesh Public Works Department, Himachal Pradesh State Electricity Board, Irrigation and Public Health Department and Municipal Corporation Shimla etc. deployed for execution of any construction or maintenance activities;
 - (vii) Official vehicles required for law and order and for protocol duty with High Dignitaries by the District Administration, Shimla and the General Administration Department of the State Government; and
 - (viii) Security Vehicles provided by the Government for the protection of a High Dignitary, carrying security personnel and accompanying the High Dignitary.
- (p) to (t) xxxx xxxx xxxx xxxx
- (u) 'Super time scale' the pay scale of Rs. 18400—Rs. 22400;
- (v) and (w) xxx xxx xxx
- (2) All other words and expressions used, but not defined in this Act and defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), shall have the same meaning respectively assigned to them in that Act.

3. Restrictions on the use of vehicles on sealed and restricted roads.—(1) All sealed roads specified in Schedule-I shall be sealed to all motorized traffic, except the following vehicles, namely:—

- (i) One official vehicle of each High Dignitary and accompanying officially provided security vehicles;
- (ii) One vehicle each of the former Chief Ministers of the State;
- (iii) Public utility vehicles as deemed necessary in the public interest by the Secretary (Home) to the State Government;
- (iv) One official vehicle of an Official Personage or one vehicle of a former High Dignitary or one vehicle of a former Dignitary for plying on one sealed road, provided that permit for the Chhota Shimla to High Court *via* Oakover portion of the Mall Road may be given only if he has his residence or official work place on such road and such residence or official work place is not approachable from a restricted road or other road;
- (v) One vehicle owned by a property tax payer of a residential property or a High Dignitary or Dignitary or an Official Personage having residence on a sealed road, provided it is not approachable from a restricted or other road, and there is a garage / parking facility on such residential property; and

- (vi) Vehicles holding a valid temporary pass issued under section 8 of the Act:

Provided that no vehicle other than public utility vehicle shall be permitted to ply on the Core Mall Road, except vehicles of President of India, Vice-President of India, Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh and the Chief Minister, Himachal Pradesh and their accompanying officially provided security vehicles:

Provided further that the Secretary (Home) may, from time to time, impose restrictions on the maximum width (wheel base) of a vehicle for any sealed road in the interest of public safety and convenience so as to prevent hindrance to cross movement of traffic.

Explanation.—For the purposes of this Act a residence shall be deemed to be approachable through a restricted road or any other road, as the case may be, if it is situated within path distance of 100 meters from such road.

(2) All restricted roads specified in Schedule-II shall be closed to all motorized traffic, except the following vehicles, namely:—

- (i) One official vehicle of each High Dignitary and their accompanying officially provided security vehicles;
- (ii) One vehicle each of the former Chief Ministers of the State;
- (iii) Public utility vehicles as deemed necessary in the public interest by Secretary (Home) to the State Government;
- (iv) One official vehicle earmarked for the use of a Dignitary or an Official Personage, for upto 3 such roads, plying on which is in the public interest;
- (v) One private vehicle owned by a High Dignitary or Dignitary or Official Personage or former High Dignitary or former Dignitary or former Official Personage or a State Level Press Correspondent accredited by the Accreditation Committee of the State Government, for not more than 3 such roads;
- (vi) Upto two vehicles in respect of a Hotel or other boarding place, not approachable from any other road, in order to carry guests from designated parking places or paid parking lots; provided that the vehicle is owned or leased by the Hotel/boarding place for a period of not less than 3 months;
- (vii) One vehicle in respect of a house-owner or occupier ordinarily resident in a property to provide access through a restricted road where the property is not approachable from any unrestricted road;
- (viii) Official vehicles attached to Central or State Government offices located on sealed or restricted roads, in order to provide reasonable transport access upto that office

through a convenient restricted road, in case the office is not approachable from any other road;

(ix) Vehicles holding a valid temporary pass issued under section 8 of the Act; and

(x) Vehicles holding a valid tourist pass issued under section 9 of the Act.

Explanation.—For the purposes of this Act, a place shall be deemed to be approachable through any other road, if it is situated within a distance of 100 meters from such road.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, the Secretary (Home) to the State Government, may specify the maximum number of vehicles that may be allowed to ply on a particular restricted road keeping in view the quantum of traffic and nature of road, so as not to cause danger, inconvenience or annoyance to the pedestrians.

4. Issue of Passes.—(1) Vehicles shall be allowed to use roads specified in Schedule-I or II on grant of a 'pass' by the State Government in the manner provided in this Act, subject to restrictions specified under section 3 and on general conditions specified under section 10 of the Act:

Provided that no vehicle shall be granted a pass unless it has a valid 'Pollution under Control Certificate' issued by the concerned authority.

(2) The pass shall be granted to provide access to residence or to an official work place in the public interest and shall be for only that portion of the sealed or restricted road that is reasonably required to access the nearest other road.

(3) Where the maximum number of passes has been fixed for a restricted road, preference may be given to,—

(a) senior citizens and permanently disabled; and

(b) those with garages/parking places/drive ways or other regular parking arrangement.

(4) Not more than one pass shall be issued per family or residence on the grounds of residence on a sealed or restricted road, and the mere fact that the residence or official work place is on a sealed or restricted road shall not entitle the grant of a pass.

6. Application for grant and renewal of a pass for sealed road and procedure.—

(1) Application for grant of a pass for driving a vehicle on a sealed road shall be made in such form as may be specified by notification, and shall be addressed to the Under Secretary (Home) to the State Government :

Provided that in the case of the Speaker, Deputy Speaker and Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, an Ex-M.L.A., the application for grant and renewal of a pass for driving of a vehicle on a sealed road shall be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly.

(2) A non-refundable fee of Rs.100 for an official vehicle and Rs.500 for a private vehicle shall be charged for processing of case for a pass for driving of a vehicle on a sealed road.

(3) A fee of Rs.1000 shall be charged for grant of a pass for an official vehicle and Rs. 2500 for grant of a pass for a private vehicle per road, per annum:

Provided that no fee shall be chargeable in respect of public utility vehicles.

(4) The pass for driving a vehicle on a sealed road may be renewed annually by the Home Department on payment of a fee as provided in sub-section (3) and in case the applicant does not make an application for renewal before the expiry of its validity period, the pass shall stand lapsed:

Provided that if the applicant proves that there were sufficient reasons for not making an application for renewal in time, the pass may be renewed on payment of fee as provided in sub-section (3) alongwith late fee of Rs. 200 per month or part thereof.

(5) The application for grant or renewal of a pass for an official vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

- (a) A certificate from Secretary (General Administration Department) to the State Government or the Head of the Office, as the case may be, to the effect that the vehicle is deployed with the High Dignitary or Dignitary or Official Personage concerned; or is a public utility vehicle, as the case may be;
- (b) Self certification (where applicable) by the applicant to the effect that the office/residence is on a sealed road and is not approachable from any of the restricted or any other roads;
- (c) Proof of payment of the processing fee in case of a new application and a photocopy of the previous pass in case of renewal of a pass;
- (d) Copy of a valid 'Pollution under Control' Certificate issued by the concerned authority; and
- (e) Such other documents as may be specified, by notification:

Provided that in respect of High Dignitaries and their officially provided security vehicles, the application shall be made by an authorized officer of the General Administration Department, except in the case of the Judges of the High Court in respect of which the Registrar General or an officer authorized in this behalf shall make the application.

(6) The application for grant or renewal of a pass for a private vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

- (a) Attested photocopy of the Registration Certificate of the vehicle in proof that the applicant is the owner of the vehicle;
- (b) Self certified proof (where applicable) of residence of the applicant on the sealed road;
- (c) Certificate (where applicable) from the duly authorized officer of the office of the Deputy Commissioner, Shimla to the effect that the residence on the sealed road is

not approachable from any other road and that the applicant has his own garage or has a parking facility;

- (d) Proof of payment of processing fee in case of a new application, and a photocopy of the previous pass in case of renewal of a pass;
- (e) Copy of a valid 'Pollution under Control' Certificate issued by the concerned authority; and
- (f) Such other documents as may be specified, by notification.

(7) All applications shall be acknowledged, registered and processed under the provisions of this Act and the rules made there under.

(8) A pass for a sealed road shall be issued, in such form as may be specified by notification, under the signatures and seal of an officer not below the rank of Under Secretary (Home) to the State Government on payment of fee as provided in sub-section (3) and the pass shall have a distinct colour and shape, as may be determined by the Home Department from time to time; and the pass shall be displayed on wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued in respect of more than one sealed road, a consolidated pass may be issued on payment of fee as provided in sub-section (3), in such form, as may be specified by a notification.

7. Application for grant and renewal of a pass for restricted roads and procedure.—(1) An application for grant of a pass for driving a vehicle on a restricted road shall be made, in such form as may be specified by notification, addressed to the Under Secretary (Home) to the State Government:

Provided that in the case of the Speaker, Deputy Speaker and Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, an Ex-M.L.A., the application for grant and renewal of a pass for driving of a vehicle on a restricted road shall be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly.

(2) A non-refundable fee of Rs.100 for an official vehicle and Rs. 500 for a private vehicle shall be charged for processing of a case for a pass for driving of a vehicle on a restricted road.

(3) A fee of Rs. 1000 shall be charged for grant of a pass for an official vehicle and Rs. 2000 shall be charged for grant of a pass for a private vehicle, per road, per annum:

Provided that no fee shall be chargeable in respect of public utility vehicles.

(4) The pass for driving a vehicle on a restricted road may be renewed annually by the issuing authority or by Assistant Commissioner to Divisional Commissioner, Shimla if so authorized, on payment of the fee as provided in sub-section (3) and in case the application for renewal is not made by the applicant before the expiry of its validity period, the pass shall stand lapsed:

Provided that if the applicant proves that there were sufficient reasons for not making an application for renewal in time, the pass may be renewed on payment of fee as provided in sub-section (3) alongwith a late fee of Rs. 200 per month or part thereof.

(5) The application for grant or renewal of a pass for a restricted road for an official vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

- (a) A certificate by the Secretary (General Administration Department) to the State Government or the Head of the Office, as the case may be, to the effect that the vehicle is attached with the concerned High Dignitary or Official Personage or is a public utility vehicle, as the case may be;
- (b) Self-Certification (where applicable) by the Secretary (General Administration Department) or the Head of the Office to the effect that the office or residence is on a sealed or restricted road, as the case may be, and is not approachable from any of the restricted or any other roads;
- (c) Proof of payment of processing fee in case of a new application and a photocopy of the previous pass in case of renewal of a pass;
- (d) Copy of a valid 'Pollution under Control' Certificate issued by the concerned authority; and
- (e) Such other documents as may be specified, by notification:

Provided that in respect of High Dignitaries and their officially provided security vehicles, application shall be made by an authorized officer of the General Administration Department, except in cases of Judges of the High Court in respect of which the Registrar General or an officer authorized in this behalf, shall make the application.

(6) The application for grant or renewal of a pass for a restricted road for a private vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

- (a) Attested photocopy of the Registration Certificate of the vehicle in proof that the applicant is the owner of the vehicle;
- (b) Self Certified proof (where applicable) of residence of the applicant on sealed or restricted road, as the case may be;
- (c) Certificate (where applicable) from the duly authorized officer of the office of the Deputy Commissioner, Shimla to the effect that the residence on the sealed or restricted road, as the case may be, is not approachable from any other road and that the applicant has his own garage or has a facility of a regular parking place;
- (d) Proof of payment of processing fee in case of a new application, and a photocopy of the previous pass in case of renewal of a pass;
- (e) Copy of a valid 'Pollution under Control' Certificate issued by the concerned authority; and
- (f) Such other documents as may be specified, by notification.

(7) All applications shall be acknowledged, registered and processed under the provisions of this Act.

(8) A pass for a restricted road shall be issued, in such form as may be specified by notification, under the signatures and seal of an officer not below the rank of Under Secretary (Home) to the State Government or Assistant Commissioner, on payment of fee as provided in sub-section (3) and the pass shall have a distinct colour and shape, as may be determined by the Home Department from time to time; and shall be displayed on the wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued in respect of more than one restricted road, a consolidated pass shall be issued on payment of fee as provided in sub-section (3) in such form as may be specified by notification.

8. Grant of temporary passes in certain circumstances.—(1) A temporary pass may be issued on such conditions as may be specified in the pass, in the public interest for a sealed road on account of official functions etc. to the official vehicle of a High Dignitary from outside the State and accompanying officially provided security vehicles or to the vehicle of a Dignitary or official vehicle of an Official Personage attending an official function at a venue approachable only from such sealed road and where the venue is not approachable by way of path distance not exceeding 100 meters from a restricted road or any other road, as the case may be.

(2) A Temporary pass may also be issued to a public utility vehicle whose plying on such sealed roads is in the public interest, on such terms and conditions as may be specified in the pass.

(3) A temporary pass for a sealed road may be issued on payment of fee of Rs. 200 per day per vehicle for maximum period of seven days, on application made to the Under Secretary (Home) to the State Government in such form as may be specified by notification, at least 2 days in advance with supporting documents, and the pass shall be issued in such form as may be specified by a notification issued from time to time, under the signatures and seal of an officer not below the rank of the Under Secretary (Home) to the State Government; and the said pass shall have a distinct colour and shape, as determined by the Home Department from time to time; and the same shall be displayed on the wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued for more than one sealed road, a consolidated pass shall be issued on payment of fee as provided in sub-section (3) of section 6 in such form as may be specified by notification.

(4) A temporary pass for a restricted road may be issued on payment of a fee of Rs.100 per day, for a maximum period of 7 days, on an application made to the Under Secretary (Home) to the State Government in such form as may be specified by notification, with reasons in support thereof, subject to the condition that the plying of the vehicle is not likely to cause danger or annoyance to pedestrians; and the said pass shall have a distinct colour and shape, as determined by the Home Department from time to time and the same shall be displayed on the wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued for more than one restricted road, a consolidated pass shall be issued on payment of fee as provided in sub-section (3) in such form as may be specified by notification.

(5) Temporary passes for sealed and restricted roads for the purpose of shooting of films or for any commercial or entertainment purpose may be granted by the Secretary (Home) to the

State Government for a maximum period of 7 days on payment of a fee of Rs.3000 per day per vehicle upto a maximum of 10 vehicles:

Provided that in order to avoid danger or annoyance to pedestrians, conditions may be imposed while granting a pass, in relation to the hours of its validity and parking restrictions.

(6) Temporary passes under this section may be issued to vehicles of National Level High Dignitaries and their accompanying officially provided vehicles on the basis of an application made by an authorized officer of the General Administration Department.

9. Grant of tourist pass.—(1) A tourist visiting Shimla Town may apply for a restricted road tourist pass at such tourist facilitation centres as may be specified by Home Department by a notification from time to time.

(2) A tourist pass may be issued, on such conditions as may be specified in the pass on payment of fee of Rs. 100/- per day per vehicle per restricted road for a maximum period of 7 days subject to the condition that the plying of vehicle is not likely to cause danger or annoyance to pedestrians.

(3) The pass shall have a distinct colour and shape, as may be determined by the Home Department from time to time and the tourist pass shall be displayed on window screen of the vehicle:

Provided that if a tourist pass is issued for more than one restricted road, a consolidated pass shall be issued on payment of fee as provided in sub-section (3), in such form as may be specified by a notification:

Provided further that the State Government may in the public interest regulate the number of tourist permits on the restricted roads for which such permit can be issued.

**THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND
CONVENIENCE) AMENDMENT, BILL, 2009**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
**THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY
AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2009**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 3.

4. Amendment of section 4.
5. Amendment of section 6.
6. Amendment of section 7.
7. Amendment of section 8.
8. Amendment of section 9.